पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

(127)

माननीय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, खण्डपीठ इंदौर (मप्र).
==

R-1772-PBR/13

निगरानी प्र0 क्र0 /2013
प्रस्तुति दिनांक 15 .4. 2013

जानकीप्रसाद पिता रामनारायणजी कौशल,
आयु 72 वर्ष, धंधा कृषि,
निवासी ग्राम किशनगंज बगीचा, तह0 महू, जिला इंदौर ..प्रार्थी/निगरानी कर्ता,

विरूद्ध

1. श्रीमती कलावतीबाई पति रामचंद्र,
आयु 68 वर्ष, धंधा गृहकार्य,
निवासी ग्राम गुजरखेडा, तह0 महू, जिला इंदौर,
2. श्रीमती सजनबाई पति रामप्रसाद,
उम्र 66 वर्ष, धंधा गृहकार्य,
निवासी पंचायत भवन के पीछे, ग्राम किशनगंज,
तह0 महू, जिला इंदौर,
3. श्रीमती रामरतीबाई पति कैलाशचंद्र कौशल,
उम्र 64 वर्ष, धंधा गृहकार्य,
निवासी ग्राम कण्डिलपुरा, इंदौर,
4. श्रीमती रज्जोबाई पति स्व0 महेशचंद्र कौशल,
उम्र 55 वर्ष, धंधा गृहकार्य,
निवासी देवपुरीकालोनी, गुजरखेडा, तह0महू, जि0 इंदौर,
5. श्रीमती कुन्तीबाई पति राजेन्द्र,
उम्र 50 वर्ष, धंधा गृहकार्य,
निवासी ग्राम किशनगंज, तह0महू, जिला इंदौर,
6. श्रीमती ग्यारसीबाई पति ओंकारलाल कौशल,
उम्र 48 वर्ष, धंधा गृहकार्य,
निवासी ग्राम किशनगंज, तह0 महू, जिला इंदौर

जानकीप्रसाद

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

7. राकेश पिता स्व० रामनारायण कौशल,
उम्र 45 वर्ष, धंधा कृषि,
निवासी ग्राम हरनियाखेडी, तह० महू, जिला इंदौर ..प्रतिप्रार्थीगण/
प्रत्यर्थीगण,

।। निगरानी अंतर्गत धारा 50 म० प्र० भू० रा० सं० ।।

प्रार्थी/निगरानीकर्ता का सादर निवेदन है कि :-

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, महू, डॉ०अम्बेडकर नगर, इंदौर (मप्र) (पीठासीन श्रीमान के०वी०एस० चौधरी) के द्वारा अपील प्र० क्र० 8/अपील/2011-12 कलावतीबाई व अन्य विरूद्ध राकेश व अन्य, में पारित आदेश दि० 21.3.2013 से दुखी व असंतुष्ट होकर प्रार्थी की ओर से यह निगरानी निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है कि :-

।। प्रकरण के तथ्य ।।

1. यहकि, प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थीगण के पिता स्व० रामनारायण पिता भगवानदीन लोध के नाम की कृषि भूमि ग्राम सांतेर, तह० महू जिला इंदौर में सर्वे नं० 166, 168, 167, 177/1, 270/1, 271/1 कुल नं० 6, रकबा 0.563, 0.251, 0.360, 0.133, 0.931, 0.397 कुल रकबा 2.635 हैक्टेयर को स्थित है । उपरोक्त भूमियों पर स्व० रामनारायण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है । उनकी मृत्यु दि० 8.1.2010 को हो गई है । उनके वारिसान के रूप में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व प्रतिप्रार्थी क्र० 7 का नाम उनके द्वारा अपने जीवनकाल में की गई वसीयत के आधार पर पंजीबद्ध हो गया है ।

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाण्ट के द्वारा नामांतरण पंजी क्र० 7 दि० 18.1.2010 को प्रार्थी तथा प्रतिप्रार्थी क्र० 7 का

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक **निगरानी 1772-पीबीआर/2013 जिला इंदौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	**आवेदकपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष सूचित हो ।** **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	